भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *7
25.11.2024 को उत्तर के लिए

पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का सीमांकन

***7. श्री वी. के. श्रीकंदन :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र को राज्य के वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और बाघ अभयारण्यों सहित वनों और संरक्षित क्षेत्रों तक सीमित करके 98 गांवों में अपने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) को 8,711.98 वर्ग किलोमीटर तक सीमित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त राज्य ने यह भी संकेत दिया है कि वह अंतिम प्रस्ताव बाद में ला सकता है;

(घ) क्या राज्य से ऐसा कोई अंतिम प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का सीमांकन” के संबंध में श्री वी. के. श्रीकंदन द्वारा दिनांक 25.11.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *7 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ) इस मंत्रालय ने पश्चिमी घाट क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए उच्च स्तरीय कार्यकारी समूह (एचएलडब्ल्यूजी) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर छह राज्यों अर्थात् गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फैले 56,825 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए, का.आ. 3060 (अ) दिनांक 31.07.2024 के तहत पश्चिमी घाटों के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में प्रारूप अधिसूचना को पुनः प्रकाशित किया है।

केरल सरकार ने स्थानीय स्वशासन विभाग से प्राप्त सुझावों के सत्यापन के आधार पर 02.11.2024 को संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें 12 जिलों के 29 तालुकों में फैले 98 गांवों में 8590.69 वर्ग किमी क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

मंत्रालय ने प्रारूप अधिसूचना को अंतिम रूप देते समय संबंधित राज्य सरकारों सहित हितधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए आपदा प्रवण प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पहलुओं और क्षेत्र के अधिकारों, विशेषाधिकारों, जरूरतों और विकासात्मक आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए छह राज्य सरकारों के सुझावों की समग्र रूप से जांच करने के लिए एक समिति गठित की है।

****